रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III —Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 2015/माघ 24, 1936
No. 52] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 2015/MAGHA 24, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2015

फा. सं. **पीएनजीआरबी/सीजीडी/रेग्युलेशंस/अमेंड-2015**.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006, (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

(1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने नगर या, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2015 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (बिछाने या नगर नेटवर्क वितरण गैस प्राकृतिक स्थानीय, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 5, के उप-विनियम (8) में शब्द "[*साठ दिन*]" के लिए "[*एक सौ बीस दिन*]" प्रतिस्थापित किया जाएगा। उप-विनियम (8) में, आगे निम्नलिखित परंतुक को जोड़ा जाएगा, नामत:-

"बशर्ते कि बिड जमा करने की तारीख में बोर्ड विस्तार कर सकता है जो कि तीस दिनों की अवधि से अधिक नही होगी जिसके कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाएंगें और इस सम्बंध में निर्णय को वेबहॉस्ट किया जाएगा।"

के. राजेश्वर राव, ओएसडी(आर)

[विज्ञापन III/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 196(अ), दिनांक 19 मार्च 2008 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे और सा.का.नि. 800(अ), दिनांक 19 नवम्बर 2008, सा.का.नि. 295(अ), दिनांक 30 अप्रैल 2009, सा.का.नि. 478(अ), दिनांक 07 जून 2010, सा.का.नि. 605(अ), दिनांक 19 जुलाई 2010, फा.सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/रेग्युलेशंस/रिव्यु-2011-III दिनांक 21 जून 2013, फा. सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/बिड/4/2013-प्रिबिड दिनांक 07 अप्रैल 2014, एवं फा.सं.एल-मिस/VI/I/2007 दिनांक 1 जनवरी 2015 के माध्यम से संशोधित किए गए।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2015

F. No. PNGRB/CGD/REGULATIONS/AMEND-2015.—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement.**

   (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2015.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, in regulation 5, in sub-regulation (8), for the words "[one hundred and twenty days]", the words "[sixty days]" shall be substituted. Further, in sub-regulation (8), the following proviso shall be added, namely:–

   "Provided that the Board may extend the date for submission of bid for a period not exceeding thirty days for the reasons to be recorded in writing and the decision in this regard shall be webhosted."

K. RAJESWARA RAO, OSD (R)

[ADVT III/4/Exty./188/14]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* No. G.S.R. 196(E), dated 19th March, 2008 and subsequently amended vide G.S.R. 800(E), dated 19th November, 2008, G.S.R. 295(E) dated 30th April, 2009, G.S.R. 478(E), dated 7th June, 2010, G.S.R. 605(E), dated 19th July, 2010, F. No. PNGRB/CGD/REGULATIONS/REVIEW-2011-III dated 21st June, 2013, F. No. PNGRB/CGD/BID/4/2013-PRE BID dated 7th April, 2014 and F. No. L-MISC/VI/I/2007 dated 1st January, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.